फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

केशव देव बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः– प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुकदमा नम्बरः– 129 सन् 2017

RCMS No. 2017/00/88

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
25.10.17	यह प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपीलान्ट श्री केशव देव पुत्र स्व. श्री होतीलाल वार्ड नं 18 नाहिला रोड, राजाखेडा जिला धौलपुर ने लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के विरूद्ध पेश की है। अपील का अवलोकन कर मनन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक सुगम/सू.अ./2017/498–499 दिनांक 26.09.17 की प्रति पेश की। जिसे शामिल पत्रावली किया जावें। जिसके द्वारा अपीलान्ट को जवाब प्रेषित किया गया है कि श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एंव समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) जयपुर के परिपत्र क्रमांक प3(22)प्र.सु./सूअप्र/06 दिनांक 2.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नही है अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है। अतः सूचना दिया जाना संभव नही बताया है। अपीलान्ट द्वारा लोक सूचना अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना चाहने बाबत किये गये आवेदन का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलान्ट ने 2 बिन्दुओ पर सूचना चाही गई है। 1. धौलपुर पुल कहां स्थित है। 2. धौलपुर पुल के मानचित्र की प्रति उपलब्ध कराई जावे। अपीलान्ट ने आवेदन में धौलपुर पुल के सम्बन्ध में सूचना चाही है। चूकिं धौलपुर जिले में एक से अधिक पुल बने हुए है। जिसके सम्बन्ध में आवेदन में स्पष्ट नही किया गया है कि अपीलान्ट ने किस पुल की सूचना चाही है। अतः अपीलान्ट को सूचित किया जावे कि चाही गई सूचना का स्पष्ट अंकन करते हुए आवेदन सक्षम लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करें तथा लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति भी अपीलान्ट को भिजवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलक्टर धौलपुर को भिजवाई जावें। अपील पर अन्य कोई कार्यदाही अपेक्षित नही है। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। जिला कलक्टर धौलपुर	770-71 27/10/17